औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) दाड़ी धर्मशाला जिला, कांगडा हि0प्र0 की निधियों का अंकेक्षण एव निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2009 से 3/2013

भाग–एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान (महिला) दाड़ी, धर्मशाला जिला कांगडा हि0प्र0 से सम्बन्धित गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु वकाया पैरों/अनुच्छेदो पर की गई कार्यवाही जांचने उपरान्त वकाया पैरों/अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है।

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2005

कमांक	पैरा संख्या		नवीनतम स्थिति
1	पैरा 8	निर्णीत	की गई कार्यवाही अनुसार।
2	पैरा 9 (क)	निर्णीत	कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई।
3	पैरा 9 (ख)	निर्णीत	दिए गये स्पष्टीकरण व प्राप्त की गई कार्योतर स्वीकृति अनुसार

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005से 3/2009

कमांक	पैरा संख्या		नवीनतन स्थिति
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ड्राफ्ट सं0 162701 दिनांक 23–5–2009 द्वारा भेजे दिया गया।
2	पैरा 4 (i)	निर्णीत	पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया।
3	पैरा 4 (ii)	निर्णीत	की कार्यवाही अनुसार
4	पैरा 5 (i)	निर्णीत	राशि ₹5100 छात्र कल्याण निधि मे दिंनाक 21–11–2012 को जमा करवाऐ गये।
5	पैरा 5 (ii)	निर्णीत	अनिर्णीत
6	पैास 5 (iii)	अनिर्णीत	
7	पैास 6	निर्णीत	वर्णित राशि दिनांक 21–11–12 को swf मे जमा करवा दी गई

8	पैास 7	निर्णीत

भाग–दो

2. **वर्तमान अंकेक्षणः–**

औद्योगिक प्रशिक्षण सरस्थान (महिला) दाड़ी धर्मशाला की वर्तमान छात्र निधियों (4/09 से 3/13) का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदो में दिये गये है सर्वश्री अशोक कुमार सूद (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी (आार्टिकल सहायक) द्वारा दिंनाक 1–8–2013 से 7–8–2013 तक के दौरान सस्थान के कार्यालय दाडी धर्मशाला में सम्पन्न किया गया। माह 8/2009, 8/2010, 7/2011, व 7/2012 के लेखाओं की आय तथा माह 9/2009, 6/2010, 7/2011 व 3/2013 के लेखाओं के व्यय की विस्तृत जॉच पडताल हेतु चयन किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्निलिखित प्रधानाचार्य ने आहरण एंव वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया

कम सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	ई0श्री0एस0के0 लखनपाल	1–4–2009 से 9–2–2010
2	ई0श्री0एस0के0 गुप्ता	15–2–2010 से 2–6–2011
3	ई0श्री0एस0के0 सहोत्रा	1–1–2011 से 2–6–2011
4	ई0श्री0एम0आर0 शर्मा	3–6–2011 से लगातार

अंकेक्षण प्रतिवेदन को संथान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नही की गई है कि जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

3. **अंकेक्षण शुल्कः–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की छात्र निधियों का अंकेक्षण शुल्क ₹6600/– आंका गया। उपरोक्त राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बना कर शिमला भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (आडिट) अंकेक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0डी (वृत–धर्मशाला) 2013–14, 93 दिनांक 7–8–2013 द्वारा प्रधानाचार्य से

अनुरोध किया गया, जिसे उन्होने कांगड़ा सैन्ट्रल को0 बैक के ड्राफ्ट सं0 494530 दिंनाक 22–8–2013 द्वारा शिमला भेज दिया।

4. <u>वितीय स्थितिः–</u>

संस्थान के छात्र निधि लेखों की वितीय स्थिति अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रकार से पाई गई।

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
आरम्भिक शेष	910058.00	1734763.00	1515208.00	1743093.00
प्रावतियॉ	1216516.00	742902.00	803980.00	991800.00
ब्याज	25822.00	39033.00	47664.00	20144.00
कुलयोग	2152396.00	2516698.00	2366852.00	2755037.00
व्यय	417633.00	1001490.00	623759.00	679317.00
अन्तशेष	1734763.00	1515208.00	1743093.00	2075720.00

<u>दिंनाक 31.3.13 को बैंक में जमा राशियों का विवरणः–</u>

दिनांक 31.3.13 को कां0के0 सहकारी बैक दाडी के खाता संख्या (बचत) 20129032278 में जमा राशि	718220.00
दिनांक 31.3.13 को परिशिष्ट (क) अनुसार सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि	1498000.00
दिनांक 31.3.13 को परिशिष्ट अन्तशेष	2216220.00
दिनांक 31.3.13 को रोकड वही अनुसार अन्तशेश	<u>2075720.00</u>
<u>अन्तर</u>	<u>140500.00</u>

<u>अन्तर का कारणः–</u>

रोकड वही अनुसार जारी चैक जो दिनांक 31.3.13 तक बैक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नही हुयेः–

दिनांक	चैक संख्या	जिसे जारी किये	राशि
22–8–12	906044	पूजा पुत्री श्री सेठ राम	500.00
29–3–13	235823	आर0के0 धर्मशाला	20000.00

29–3–13	235824	एनटेल टेक्नोलजी पालमपुर	100000.00
29–3–13	235825	बासन एन्टरप्राईजेज धर्मशाला	20000.00
			140500.00

5. सावधि जमा के अन्तर्गत व्याज राशि ₹245288/– को रोकड वही में ईन्द्राज न करने बारेः–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर समय–समय पर अर्जित ब्याज का रोकड वही में ईन्द्राज नही लिया जाता है तथा परिपक्वता की तिथि को उसे ब्याज सहित पुनः निवेशित कर दिया जाता है। ब्याज को रोकड वही में ईन्द्राज न लेने के कारण रोकड वही में निवेशित राशि का वास्तविक मूल्य नही दर्शाया जा रहा है उदाहरण के रूप में परिशिष्ट (क) अनुसार दिनांक 21.11.08 को राशि ₹4.00 लाख 1 वर्ष के लिये निवेशित की गई जो समय–समय पर पुनः ब्याज सहित निवेशित की जाती रही तथा दिनांक 13.2.2013 को यह राशि ₹563081/– से पुनः 1 वर्श के लिये निवेशित की गई परन्तु रोकड वही में इसकी निवेश राशि 4.00 लाख रूपये दर्शाई जा रही है जो कुल ₹163081/– से कम है इसी प्रकार परिशिष्ट (ख) अनुसार सावधि जमा में निवेशित राशियों पर दिंनाक 31.3.13 तक राशि ₹245288/– ब्याज अर्जित किया गया जिसका रोकड वही में ईन्द्राज नही लिया जा रहा है जिसके अभाव में संस्थान की वास्तविक वितीय स्थिति परिलक्षित नही होती। अतः भविष्य में रोकड वही में सावधि जमा में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना की जाूच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

6. प्रवेश शुल्क व एन0टी0सी0 चार्जिज की वसूली न करने के सम्बन्ध मेंः–

माह 8/10 से सम्बन्धित आय की जांच के दौरान पाया गया कि नीचे दर्शाई गई रसीदो द्वारा प्रवेश शुल्क व एन0टी0सी0 चर्जित की बसूली नही दर्शाई गई जबकि वर्ष 2010–11 की विवरण पुस्तिका के पैरा 4.1 (क) (i) व पैरा 4.1 (च) अनुसार विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क व एन0टी0सी चार्जिज की वसूली की जानी अपेक्षित थी

दिनांक	रसीद संख्या
9–8–10	5474.82
9–8–10	5489.5500
9–8–10	5501.46

9–8–10	5554.55
9–8–10	5557.00
9–8–10	5560.61
9–8–10	5565.66
10–8–10	5568.72
16–8–10	5576.00
16–8–10	5579.00
16–8–10	5581.91
26–8–10	5594.95
26–8–10	5597.00

अतः उक्त रसीदों द्वारा विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क व एन0टी0सी0 चार्जिज की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। वर्ष 2010–11 में उक्त चार्जिज की विद्यार्थियों से बसूली की गई है तो उसकी जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये अन्सथा विभागीय जौर पर उक्त चार्जिज के रूप में वसूल न की गई राशि की गणना कर उसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

7. <u>पंजीकरण शुल्क के सन्दर्भ में :–</u>

माह 7/11 से सम्बन्धित आय की जांच के दौरान पाया गया कि नीचे दर्शाई गई रसीदो द्वारा विद्यार्थियों से पंजीकरण शुल्क की वसूली नही दर्शाई गई जबकि वर्ष 2011–12 की विवरण पुस्तिका के पैरा सं0 4.1 (च) अनुसार विद्यार्थियों से ₹200/– प्रति छात्र पंजीकरण शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

दिंनाक	रसीद संख्या	कुल रसीदें
5–7–11	5709–92	84
11–7–11	5800	1

अन्तः उक्त रसीदो द्वारा विद्यार्थियों से पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। उक्त रसीदों से सम्बन्धित विद्यार्थियों से वर्ष 2011–12 में उक्त शुल्क की वसूली की गई है तो उसकी जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये अन्यथा विभागीय तौर पर न वसूल की गई पंजीकरण शुल्क की राशि की गणना कर उसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

8. (1) दिनांक 29–3–2013 को राशि रू100000 का भुगतान, मै0 ऐनटेल टैक्नौलोजी को उनके बिल सं0 4514 दिनांक 28–3–2013 द्वारा, 3 एच0पी0 डैस्क टॉप कम्प्युटर कुल राशि रू99000 व 2 पैन ड्राईव राशि 1000/– की खरीद करने पर किया गया। इस खरीद हेतु निदेशक, तकनिकी शिक्षा, हि0प्र0 के पत्र सं0:– एसटीवी (आई0टी0) एच–जी0

(2) 1/2010 –धर्मशाला 18860 दिनांक 23–3–2013 द्वारा, भण्डार नियन्त्रक, हि0प्र0 द्वारा निर्धारित दरों व निर्धारित दर ठेका फर्मों से खरीद करने हेतु अनुमति प्रदान की थी परन्तु आदेशों की अनुपालना न करते हुऐ, खरीद स्थानीय बाजार से निविदाऐं आमन्त्रित कर न्यूनतम निविदा/दरो के आधार पर कर ली गई। जबकि प्रदेश में कम्प्युटर इत्यादि की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार/भण्डार नियन्त्रक द्वारा इलैक्ट्रौनिक कॉर्पोरेशन को नौडल ऐैजेन्सी के रूप में न्युक्त किया गया है तथा सभी कम्प्युटरों की खरीद इलैक्ट्रौनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से की जानी आपेक्षित थी। संस्थान द्वारा इस खरीद से एक माह पूर्व बिल सं0 29841 दिनांक 26–2–2013 के अन्तर्गत एच0पी0 स्टेट इलैक्टौनिक डिवैलपमैण्ट कार्पोरेशन से 10 कम्पयूटर की खरीद की गई, जिनकी स्टॉक प्रविष्टी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 29 पर दर्ज है यह सभी कम्पयूटर उच्च क्षमता वाले, डयूल कोर, 4GB रैम व 3 साल की वारन्टी के साथ केवल ₹32910 प्रति कम्पयूटर की दर पर खरीदें गये जबकि वर्णित वर्तमान खरीद में सस्थान द्वारा ₹33000.00 का भुगतान कर, कम क्षमता वाले, ईन्टैल कोर, 2GB रैम व एक साल की वारन्टी वाले कम्पयूटरों की खरीद की गई।

स्पष्ट किया जाऐ कि निदेशक तकनीकी शिक्षा के आदेशों की अनुपालना में व प्रदान की गई स्वीकृति अनुसार क्रयः दर संविदा पर न कर बाजार से निविदाऐं एकत्रित कर स्थानीय बाजार से उच्च मुल्य पर कम क्षमता वाले कम्पयूटरों की खरीद किस आधार पर की गई। जॉच उपरान्त, इस संदर्भ में जिम्मेवारी निर्धारित कर व उचित कार्यवाही अमल में लाकर व निदेशक तकनिकी शिक्षा से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर, क्रयः को नियमित करवाया जाए । उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही करने हेतु निदेशक तकनिकी शिक्षा हि0प्र0 के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है।

8 (2) वाउचर सं0 23/1 माह 9/2009 के अंतर्गत मै0एस0 एण्ड एस0 कम्प्युटर से उनके बिल सं0 234 दिनांक 1–9–2009 के अंतर्गत कार्यालय के कम्प्युटर की रिपेयर करने पर राशि ₹1620 का भुगतान किया गया। इस बिल में कही स्पष्ट नही किया गया कि कम्प्युटर रिपेयर में किस चीज को ठीक किया गया।? और न ही यह स्पष्ट है कि कम्प्युटर खराब कब हुआ था। कब खरीदा गया तथा इससे पूर्व कब इसकी मुरम्मत हुई।

अतः इस मुरम्मत के संदर्भ में पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय कम्पयूटर हेतु छात्र कल्याण निधि से किया गया व्यय छात्र निधि पर उचित प्रभाव नही है। अतः उचित स्त्रोत से किए गये व्यय की प्रतिपूर्ती कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

9. <u>राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता पर किऐ गये अनियमित व्यय राशि रू271842 के संदर्भ में:—</u>

(क) अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संस्थान प्रशासन द्वारा दिनांक 13.6.2010 से 18—6—2010 तक संस्थान में सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर छात्र निधियों से कुल राशि ₹359887 व्यय किए गये जबकि प्रतियोगिता के आयोजन हेतु विभिन्न संस्थानों से केवल ₹88045/— की वसूली की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है

(i)	सम्बंधतता शुल्क	₹25000
(ii)	खिलाडीयों का पंजीकरण शुल्क	₹4995
(iii)	भाग लेने का शुल्क	₹51450
(iv)	खेल में भाग लेने का शुल्क	<u>₹6600</u>

इस प्रकार संस्थान प्रशासन द्वारा प्रतियोगिता के आयोजन पर की गई कुल वसूली राशि ₹88045.00 के विरूद्ध राशि ₹271842 का व्यय कर दिया गया जबकि नियमानुसार आयोजन पर की गई वसूली से ही व्यय किया जा सकता था अन्यथा अधिक व्यय हेतु सक्षम अधिकारी, निदेशक तकनीकी शिक्षा से स्वीकृति प्राप्त की जानी आपेक्षित थी। अतः प्रतियोगिता के आयोजन हेतु की गई वसूली से किऐ गये अधिक व्यय राशि ₹271842 के भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाऐ अन्यथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर व किऐ गये व्यय को नियमित करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त वर्णित प्रतियोगिता के आयोजन हेतु का गई क्रय व व्यय वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताए पाई गई जिनका निपटारा कर किये गए भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। किये गए क्रय का विवरण निम्नलिखित है।

(i) दिनांक 24–6–2007 को राशि ₹30397 का भुगतान कर मै0 दुर्गा सेल्स प्रतिशठान बिलासपुर से की गई क्रयः का विवरणः–

क्रय सं0	बिल सं0	दिनांक	समान का विवरण	राशि `
1	428	शून्य	15 जोडी टैनिस जूते	2835
2	429	शून्य	15 जोडी टैनिस जूते	2835
3	430	शून्य	टैनिस जूते	2709
4	431	शून्य	10 पैकट शटल कॉक व 4 पीस स्टॉप वॉच	2940
5	432	शून्य	3 पीस नैट बालीबाल, 3 पीस नैट बैडमिन्टन, 2 पीस बालीबाल	2803
6	433	शून्य	4 पीस बालीवाल	2520
7	438	शून्य	8 पीस रैकट	2520
8	439	शून्य	50 टोपियॉ	2625
9	440	शून्य	50 टोपियॉ	2625
10	442	10–6–2010	50 टोपियॉं	2625
11	443	10–6–2010	40 टोपियॉ	2100
12	444	शून्य	2 पीस बॉलीवाल शूज	1260
				30397

(1) उपरोक्त खरीद छोटे–छोटे बिलों में, प्रत्येक राशि ₹3000/– से कम में करने का कारण स्पष्ट किया जाए।

(2) इस खरीद हेतु निविदाऐं आमन्त्रित करने हेतु पत्र, पत्र सं0 IT.I/DS/store/269-71 दिनांक 31–5–2010 को तीन फर्मो को भेजा गया जिसमें निविदाऐं खोलने की तिथि दिनांक 8–6–2010 को सॉय 3 बजे दर्शाई गई परन्तु प्राप्त निविदाओं के (Envelop) लिफाफे पर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि निविदाऐ दिनांक 31–5–2010 को खोली गई जो प्रधानाचार्य द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित है उपरोक्त के अतिरिक्त सामान की आपूर्ती हेतु जो पत्र जारी किया गया वह प्रतियोगिता समाप्ति के एक माह बाद पत्र सं0 ITI/DS/store supply order/-351 दिंनाक 8–7–2010 को जारी किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत की गई खरीद पर प्रश्न चिन्ह लगता है। 12 बिलों से खरीद करना, जिस दिन निविदाऐं आमन्त्रित की गई उसी दिन अर्थात दिनांक 31–5–2010 को ही निविदाऐं खोलना जबकि निविदाऐं आमन्त्रण पत्र में तिथि 8–6–2010 दी गई थी इसी प्रकार सामान प्राप्ति के एक माह बाद आपूर्ती पत्र जारी करना खरीद की सारी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः उच्च स्तरीय जॉच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण की अवगत करवाया जाऐ तथा यह सुनिश्चित किया जाऐ कि इस खरीद में किसी प्रकार का कोई गलत/अधिक भुगतान नही किया गया है।

(3) क्रय किया गया सारा सामान स्टॉप ब्राच, बैडमिन्टन, बॉलीबाल 45 जोडे टैनिस जूते इत्यादि सभी समान प्रतियोगिता में प्रयोग किया गया दर्शा कर स्टॉक से खारिज कर दिया गया जो उचित प्रतीत नही होता है क्योकि यह समान स्थाई प्रकृति का सामान है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान का दुरूपयोग किया गया है। अतः जॉच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.(ग) प्रतियोगिता के आयोंजन में व्यवस्था करने हेतु दिंनाक 3–6–2010 को श्री सुनील कुमार को दिए गये अग्रधन राशि ₹30,000 के समायोजना वाउचर राशि ₹28841 की जॉच मे पाया गया कि निम्न वर्णित सामान जो स्थाई प्रकृति का है, को स्टॉक ईन्द्राज करने उपरान्त प्रतियोगिता में प्रयोग। खपत किया गया दर्शा कर स्टॉक से खारिज कर दिया गया। जबकि सामान की खपत नही हो सकती है केवल टूट–फूट सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान का प्रतियोगिता समाप्ति उपरान्त दुरूपयोग कर दिया गया। अतः जॉच उपरान्त, किसी प्रकार के दुरूपयोग की अवस्था में उचित कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाए। सामान का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं0	आपूर्ती कर्ता का नाम	बिल सं0	सामान का विवरण	राशि
1	मै0 मीनू मार्किटिन्ग	53, दिनांक 25–5–2010	दो पेटी टेबल ग्लास दर 370/– प्रति पेटी	740/–
2	मै0 मीनू मार्किटिन्ग	बिल सं0 55 दिनांक 28–5–2010	10 पीस प्लासटिक बाल्टी @125/- प्रति एक	1250/–
			6 पीस प्लासटिक जग	240/–

			@40 प्रति एक	
			6 पीस प्लासटिक जग @65 प्रति एक	390 / –
			कोसटर 1 सैट @75/-	75 / –
			कोसटर 2सैट @85/-	170 / –
			कोसटर 1 सैट @85/-	85 / –
			ड्राई फ्रूट ट्रे @160 /-	160 / –
3	मै0 मीनू मार्किटिन्ग	बिल सं0 57 दिनांक 29–5–2010	18 पीस Gorbage Bucket दर 35 / – प्रति एक	630 / –
			10 पीस प्लासटिक कप	150 / –
			5 Set Tray Bone China	825 / –
			10 पीस ट्रै बडी	1250 / –
4	मै0 उतर चन्द एण्ड कम्पनी	बिल सं0 14482 दिनांक 5–6–2010	57 किलो पाईप, पोल्स के लिए खरीदी गई	2996 / –

9(घ) दिनांक 24–6–2010 को मै0 भारत टैन्ट हाउस को उसके बिल सं0 883 के अंतर्गत प्रतियोगिक हेतु दिनांक 13–6–2010 से 18–6–2010 तक टैन्ट इत्यादि की व्यवस्था करने पर कुल राशि ₹68680 / – का भुगतान किया गया। इस भुगतान में 6 दिन के लिए 20 मैट, ₹100 प्रति दिन प्रति मैट के किरायें की दर से कुल ₹12000 / – का भुगतान किया गया। जॉच में पाया गया कि मै0 भारत टैन्ट हाउस को जो आपूर्ती पत्र जारी किया गया था उसमें मैट की व्यवस्था करने का आदेश नही किया गया था। अतः किसी आदेश के बिना मैट का बिछाना व उस हेतु किराए के भुगतान को किया जाना, उचित ठहराया जाए, अन्यथा उचित स्त्रो से प्रतिपूर्ती कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

10. (क) दिनांक 4–6–2010 को श्री सूनील कुमार को ₹25000/– का भुगतान आई0टी0आई0 नगरोटा में दिनांक 6–6–2010 से 8–6–2010 के मध्य सम्पन्न हुई जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु भवन निधि से अग्रिम के रूप में किए गये। भवन निधि से खेलों पर किया गया व्यय निधि पर उचित प्रभार नही है अतः उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए अन्यथा निदेशक तकनिकी शिक्षा से स्वीकृति प्राप्त व किए गये व्यय को नियमित करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

(ख) इस भुगतान के अंतर्गत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 35 छात्रों को दैनिक भते के रूप में कुल ₹12320/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

दिनांक 5–6–2010 को 35 छात्रों को 1 दिन की 70% दैनिकी का भुगतान

दिनांक 6–6–2010 से 8–6–2010 तक 35 छात्रों का दिन का दैनिक भता

दिनांक 9–6–2010 को 35 छात्रों को 1 दिन की 70% दैनिकी का भुगतान

कुल 35 छात्रों को 4.40 दैनिकियों का ₹80 प्रतिदिन की दर पर कुल 12320 का भुगतान।

(i) जिन नियमों/आदेशों के अंतर्गत दिनांक 5–6–2010 व 9–6–2010 को 70% दैनिक भते का भुगतान को उचित ठहराया जाऐ।

(ii) नियमानुसार दैनिक भता आयोजक संस्थान के पास कॉमन मैस में जमा करवाया जाना आपेक्षित था परन्तु इस भुगतान में यह भुगतान छात्रों को किया गया दर्शाया गया। अतः दैनिक भते को नियमानुसार कॉमन मैस में जमा न करवाने का कारण स्पष्ट किया जाए।

11. दिनांक 25–3–2013 को, शाहपुर में दिनांक 28–2–2013 से 4–3–2013 तक सम्पन्न हुई खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों पर हुऐ व्यय बिलो का समायोजन प्रदान अग्रिम राशि ₹23000.00 किया गया। इन समायोजन वाउचरों में राशि ₹11880, 18 बच्चो को ₹120 प्रति दिन की दर पर 5½ दिन का, दैनिक भते के रूप में भुगतान किए गये जबकि निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पत्र सं0एस0टी0वी0 (टी0ई0)–एच–एफ(4)21-85-पार्ट viii-5891–5970 दिनांक 29–1–2013 के अनुसार दैनिक भते की राशि भेजबान संस्थान के पास जमा करवाई जानी आपेक्षित थी। अतः आदेशों की अनुपालना न कर, राशि मेजबान संस्थान के पास न जमा करवाने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में

आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए, इस चूक हेतु निदेशक, तकनिकी शिक्षा से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक नियमितिकरण करवाया जाए।

12. अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संस्थान में छात्रों की प्रवेश कॉउसंलिग के दौरान कार्य करने वाले संस्थान के कर्मचारियों को छात्र कल्याण निधि से भुगतान कर जल– पान की आपूर्ती की गई जबकि छात्र कल्याण निधि से इस प्रकार के व्यय करने का नियमों में कोई प्रावधान नही था। अतः किए गये व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाऐ अन्यथा सक्षम अधिकारी, निदेशक तकनिकी शिक्षा से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर व किऐ गऐ व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती कर व राशि छात्र निधि में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। किए गऐ व्यय में से कुछ का विवरण निम्नलिखित है।

कम सं0	वाउचर सं0	आपूर्तीकर्ता का नाम	विवरण	राशि
1	22/2 माह 9/2009	मै0 निरन्जन स्टैशनरी मार्ट, धर्मशाला बिल सं0 44 दिनांक 24–8–2009	कोल्ड ड्रीक, नमकीन व विस्कुट इत्यादि	₹216/–
2	22/8 माह 9/2009	श्री घ्जती राम, संस्थान की कन्टीन चलाने वाला	दिनांक 24–8–2009 को दिये गये 45 कप चाय व 12 खाने	₹351/–
3	23/2 व 23/3 माह 9/2009	श्री घ्जती राम, संस्थान की कन्टीन चलाने वाला	दिनाक 7/8/2009 को व 8/8/2009 को प्रतिदिन 25 खाने व 100 कप चाय की आपूर्ती करने पर ₹925 प्रतिदिन के हिसाव से।	₹1850/–

13. अभिलेख की जॉच में पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से कार्यालय प्रयोग हेतु सामान की खरीद की जाती है जबकि नियमानुसार छात्र कल्याण निधि से केवल छात्रों के कल्याण हेतु व निधि उद्वेश्यों पर ही व्यय किया जा सकता है। अतः छात्र कल्याण निधि से

कार्यालय प्रयोग हेतु खरीदे गये सामान के लिए किऐ गये भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाऐ अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए। किये गए व्यय के कुछ उदाहरण निम्न वर्णित है।

क्रम सं0	आपर्तीकर्ता का नाम व बिल संख्या	समान का विवरण	राशि
1	वाउचर सं0 22/1 माह 9/2009 मै0 निरन्जन स्टैशनरी मार्ट बिल सं0 31 दिनांक 24–8–2009	1 रिम फोटोस्टेट पेपर दर 140/– फाईल बोर्ड 26 न0 दर ₹15	140 390 530
2	वाउचर सं0 22/3 माह 9/2009 मै0 निरन्जन स्टैशनरी मार्ट बिल सं0 21 दिनांक 14–8–2009	7 रिम फोटोस्टेट पेपर दर ₹140	980
3	वाउचर सं0 22/4 माह 9/2009 मै0 निरन्जन स्टेटशनरी मार्ट बिल सं0 6 दिनांक 11–8–2009	12 फाईल कवर दर₹25/–, 1 न0 स्टैपलर 10 3 न0 स्टैपलर 24/6 न0 दर 2न0 पिन स्टैपलर 10 न0, 6 न0 पिन स्टैपलर 24/6 न0, 24 न0 पैन	300 96 234 12 72 240 954
4	वाउचर सं0 22/6 माह 9/2009 मै0 मधु स्टैशनरी बिल सं0 624 दिनांक 24–7–2009	रजिस्टर, पाईलैट पैन, फाईल कवर इत्यादि	690
5	वाउचर सं0 22/7 माह 9/2009 मै0 मधु स्टैशनरी बिल सं0 636 दिनांक 20–8–2009	2 पेपर पिन बौक्स	44.00
6	वाउचर सं0 23/4 माह 9/2009 मै0 निरन्जन स्टैशनरी मार्ट बिल सं0 10 दिनांक 12–8– 2009	1 पैकट कार्बन 2 रिम फोटोस्टैट कागज A-3 8 पैकट पेपर पिन	200 560 160

			920
7	वाउचर सं0 23/5 माह 9/2009 मै0 निरन्जन स्टैशनरी मार्ट बिल सं0 17 दिनांक 14–8–2009	65 फाईल बोर्ड दर ₹15/–	975
8	वाउचर सं0 23/6 माह 9/2009 मै0 निरन्जन स्टैशनरी मार्ट बिल सं0 27 दिनांक 17–8–2009	5 बन्डल टैग स्माल, दर₹65/– 5 बन्डल टैग बडे, दर ₹85/– 24 न0 पैन, दर ₹10/–	325 425 240 990
9	वाउचर सं0 26/1 माह 9/2009 मै0 मधु स्टैशनरी बिल सं0 369 दिनांक 9–9–2009	6 मार्कर पैन रिफिल	300

14. <u>अन्य</u>

(i) दिनांक 11–6–2010 को डिवैलपमैट व भवन निधि से होस्टल के बिजली बिल कुल राशि ₹10794/– का भुगतान किया गया जबकि प्रौस्पैक्टस के नियम 4 (1) (घ) (ड) के अनुसार होस्टल के बिजली के बिल का भुगतान प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिऐ गये ₹500/– प्रति छात्र प्रति वर्ष, राशि से किया जाऐगा तथा। यदि बिल एकत्रित राशि से अधिक हो तो अन्तर भी उन्हे ही चुकाना होगा। अतः भवन निधि से होस्टल के बिजली के बिल के भुगतान को उचित ठहराया जाऐ अन्यथा अनुचित प्रकार से व्यय राशि को बसूली करके राशि छात्र निधि में तमा करवाई जाए।

(ii) दिनांक 18–6–2010 को मै0 मधु स्टैशनरी से बिल सं0 284 द्वारा एक कैश बुक खरीदने पर कुल राशि ₹465/– का भुगतान किया गया, परन्तु रोकड में यह राशि ₹665/–दर्शा कर राशि की निकासी की गई। इस प्रकार राशि ₹200/– की अधिक निकासी की गई। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ व राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

15. **लधु आपत्ति विवरणिकाः**– यह अलग से जारी नहीं की गई थी।

16 **निष्कर्षः**– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)H(2)(15)xi(ii)418/89–vol-2,दिनांक,10.1.2014, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1 प्रधानाचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दाडी, धर्मशाला जिला कांगडा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाही का सटिप्पण उत्तर निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2 सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171001.

3 निदेशक तकनीकी शिक्षा एंव व्यवसायिक एंव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

4 श्री अशोक कुमार सूद अनुभाग अधिकारी, द्वारा..................

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.